

केस का सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3
<p><u>15</u> 1.2.20</p>	<p>उपायुक्त - सह - जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, राँची ( विधि शाखा ) सी० सी० ए० वाद सं० 113/18-19 राज्य -बनाम- विशाल उर्फ छोटु</p> <p><u>आदेश</u></p> <p>वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने अपने पत्रांक 758/डी०सी०बी० दिनांक 04.05.2018 के माध्यम से कुख्यात अपराधकर्मी विशाल उर्फ छोटु पे० मदन कुमार, सा० भवनीपूर, थाना डोरण्डा, जिला राँची के विरुद्ध झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम - 2002 (अंगीकृत) के धारा 3 (1) (a), 3 (1) (b) (1) के तहत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया, जिसका आवलोकन किया। इस अपराधकर्मी पर वर्तमान में (1) कोतवाली थाना काण्ड सं० 272/17 दिनांक 05.10.2017, धारा 25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट, (2) कोतवाली थाना सनहा सं० 21/18 दिनांक 01.04.2018 एवं (3) कोतवाली थाना सनहा सं० 23/18 दिनांक 03.04.2018 दर्ज है। आरोप पत्र समर्पित है।</p> <p>वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विशाल उर्फ छोटु पे० मदन कुमार, सा० भवनीपूर, थाना डोरण्डा, जिला राँची एक सक्रिय अपराधकर्मी है। इनके जेल से छुटने के बाद भी इनके अपराधिक क्रिया - कलाप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिसके आस पास के क्षेत्रों में शान्ति व्यवस्था पुरी तरह से प्रभावित रह रही है। इनका मुख्य पेशा झपटामार एवं अवैध हथियार रखना एवं अन्य अपराध करना है। ये वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर मुक्त है। इनके अपराधिक इतिहास के कारण जनता में भय व्याप्त है कि ये फिर से कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे दें जिससे लोक-शान्ति की समस्या उत्पन्न न हो जाये। आसूचना संकलन के क्रम में भी सूचना प्राप्त हुई है कि इनके घरों में भी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है, जिससे आम जनता के बीच भय का माहौल बना हुआ है। इस प्रकार आम-जनों के बीच इनका भय कम करने एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिए इन पर प्रतिदिन निगरानी रखना आवश्यक है। इसके लिए इनको प्रत्येक दिन थाना पर हाजिरी करा कर निगरानी रखना अति आवश्यक है।</p> <p>उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम - 2002 (अंगीकृत) के धारा 3 (1)</p>	

केस का सं० ओर तारिख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ
1	2	3

2

(A), 3 (1) (B) (1) के अन्तर्गत अपराधकर्मी से कारणपृच्छा मांगा गया।

विपक्षी द्वारा दायर कारण पृच्छा के अनुसार विपक्षी को मात्र दो काण्ड में अभियुक्त बनाया गया है तथा दोनों ही काण्ड में वे जमानत पर मुक्त हैं। विपक्षी एक अभयपत अपराधी नहीं है एवं उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अभिलेख के आवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के विरुद्ध दायर कांडों में अनुसाधनोपरान्त आरोप पत्र समर्पित किया गया है एवं मामला अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। विपक्षी द्वारा अपने कारण पृच्छा के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। दूसरी ओर वरीय पुलिस अधीक्षक के रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि इनके द्वारा कारित अपराध भा० द० स० के अध्याय XVI एवं XVII की श्रेणी के हैं जो झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम - 2002 (अंगीकृत) के धारा 2 (क) के तहत इनके असमाजिक तत्व होने का द्योतक है एवं इनके कृत्य से लोक व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति के भंग होने की प्रबल संभवना है।

अतः वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्निहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित्त अपराधकर्मी विशाल उर्फ छोटु पे० मदन कुमार, सा० भवनीपूर, थाना डोरण्डा, जिला राँची, रू० 1100/- (रूपया एक हजार एक सौ) मात्र का बंध पत्र वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के समक्ष जमा करें।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरुद्ध झारखण्ड अपराध, नियंत्रण अधिनियम - 2002 (अंगीकृत) के धारा 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस आदेश की प्रति संबंधित थाना को वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के माध्यम से अनुपालनार्थ भेजा जाए।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,  
राँची

जिला दण्डाधिकारी  
राँची